10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क. निगरानी R 814- III/14

1. रविन्द्र कुमार इंगले पिता पी. डी. इंगले आयु लगभग 55 साल
2. शोभा इंगले पत्नी श्री रविन्द्र कुमार इंगले आयु लगभग 52 साल
3. रामकृष्ण गुप्ता पिता उकारबक्ष सिंधी आयु 56 साल निवासी सदर बाजार राजगढ़ ————

आवेदक

विरुद्ध

गुलाब सिंह पिता कनीराम गूजर निवासी बेडाकापुर तेह. राजगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.

अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 आदेश दिनांक 17–02–14 पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय राजगढ़ के प्रकरण क. बी – 121/12–13 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

संक्षिप्त विवरण

यहकि अनावेदक गुलाब सिंह द्वारा के आवेदन पत्र धारा 115–116 भू. रा. सं. के अंतर्गत आपत्ति आवेदक गण द्वारा की गई आपत्ति निरस्त की गई दिनांक 17–02–14 को ।

निगरानी के आधार

1 यह कि धारा 115 मे किसी भी प्रकार का आदेश स्व–प्रेरणा से किया जा सकता है। आवेदन पर अनावेदक द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना प्रथमदृष्टया अवैध होने से निरस्त्री योग्य है।

2. यह कि धारा 116 मे किसी भी अशुद्व प्रविष्टि का शुद्वि करण एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है जबकि अनावदेक को इस शुद्विकरण की जानकारी 1991 मे थी । लगभग 22–23 वर्षो के पश्चात इंद्राज को अशुद्व कह कर ठीक नही कराया जा सकता। माननीय तहसीलदार महोदय ने अवैध एवं अनुचित आदेश पारति किया है जो कि निरस्त योग्य है।

3. यह कि अनावेदक गुलाब सिंह से निगरानी प्रकरण 74/अ/7/2006–2007 से न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय राजगढ़ मे आदेश 11–04–08 के परिपालन मे श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय राजगढ द्वारा उनके प्रकरण क 7/अ 12/2006–07 मे दो राजस्व निरीक्षको की सयुंक्त टीम बनाकर निरीक्षण कराया था। आवेदक एवं अनावेदक दोनो मौके पर उपस्थित थे एवं उनके और गवाहो के हस्ताक्षर भी थे। उक्त प्रकरण माननीय नायब तहसीलदार के यहा उपलब्ध है जिसका प्रकरण क. 7/अ 12/2007 । इस प्रकार आदेश विधि विरुद्व होने से निरस्त योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./814/तीन/2014 जिला- राजगढ़

रविन्द्र कुमार इंगले विरूध गुलाब सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 1468/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17/02/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	